



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 429 राँची, सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (श०)  
3 अगस्त, 2026 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

23 जुलाई, 2026

**संख्या-03/आरोप(कोर्ट केस)-15-26/2025 का०- 4728--**श्री चन्द्रदेव शर्मा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, रामगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त को निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के धावादल के द्वारा दिनांक 08.08.2001 को रू० 1500/- (पन्द्रह सौ रुपये) घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उक्त आलोक में विभागीय आदेश सं०-3238, दिनांक 14.09.2021 के द्वारा श्री शर्मा को न्यायिक हिरासत की तिथि दिनांक 08.08.2001 के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री शर्मा के न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरांत विभागीय आदेश सं०-2219, दिनांक 24.04.2003 द्वारा निलम्बन मुक्त किया गया।

इस संबंध में श्री शर्मा के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-11/01, विशेष वाद सं०-16/01 दर्ज किया गया तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) के तहत विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या-64/जे०, दिनांक 17.05.2002 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी।

संबंधित मामले में उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-221, दिनांक 12.05.10 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया, जिसके लिए विभागीय संकल्प सं0-3527, दिनांक 27.06.2011 द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-26, दिनांक 09.04.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया की विभागीय कार्यवाही में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर आरोपित पदाधिकारी को घूस लेने के आरोप में दोषी अथवा निर्दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। निगरानी ब्यूरो द्वारा प्रेषित साक्ष्य एवं आरोप पत्र के संबंध में निर्णय न्यायालय द्वारा ही लिया जाएगा।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री शर्मा को दोषी मानते हुए उनके पेंशन की राशि का 5% (पाँच प्रतिशत) पाँच वर्षों तक कटौती किये जाने निमित्त उनसे द्वितीय कारण पृच्छा किये जाने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया साथ ही, निगरानी से आरोपी पदाधिकारी की संपत्तियों की जाँच करने का निदेश भी दिया गया।

तत्पश्चात् श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा तथा मामले की सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-7251, दिनांक 18.06.2012 द्वारा श्री शर्मा के 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन 5 वर्षों तक कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 3122/2012- Chandradeo Sharma Vrs. State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"6. The findings of the Disciplinary Authority, by which, he has differed with the report of the Enquiry Officer and has proposed the punishment of reduction of pension of the petitioner by 5% for five years, is bad in law and is hereby set aside. Consequently, the approval of this punishment by Hon'ble the Chief Minister concerned is also set aside.

7. So far as the notings of Hon'ble the Chief Minister to the effect where he gave a direction to the Vigilance Department to enquire about the assets of the petitioner is concerned, the same was absolutely unwarranted in this case. In a departmental proceeding, this type of observation/direction cannot be made. If at all, it was necessary, a separate note sheet should have been initiated based on allegation or complaint but the same has not been done by the Disciplinary Authority. Thus, this notings and direction of Hon'ble the Chief Minister is bad and is also set aside.

8. Accordingly, this writ petition stands allowed.

9. Consequently, the petitioner is entitled to get the entire retiral benefits, which should be paid to him within eight weeks from the date of receipt of a copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA No. 622/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम चन्द्रदेश शर्मा दायर किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

साथ ही, W.P.(S) No. 3122/2012 में दिनांक 15.01.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में Cont. Case (Civil) No. 15 of 2026 दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2026 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है- "Learned counsel representing the opposite parties prays for and is granted six weeks' time to comply the order dated 15.01.2025 passed in W.P.(S) No.3122 of 2012. List this case after six weeks."

अतः W.P.(S) No. 3122/2012 में दिनांक 15.01.2025 को पारित न्यायादेश तथा Cont. Case (Civil) No. 15 of 2026 में पारित अंतरिम आदेश एवं मामले के सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(क) श्री चन्द्रदेव शर्मा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-नीलाम पत्र पदाधिकारी, रामगढ सम्प्रति सेवानिवृत्त पर विभागीय संकल्प सं०-7251, दिनांक 18.06.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड "पेंशन की राशि का 5 प्रतिशत राशि पाँच वर्षों तक कटौती किये जाने" को विलोपित किया जाता है।

(ख) उक्त विलोपन LPA No. 622/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम चन्द्रदेश शर्मा के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति चन्द्रदेश शर्मा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चिन्टू दोराईबुरु,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----